भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 227

(मंगलवार, 02 दिसंबर, 2025/11 अग्रहायण, 1947(शक) को उत्तर के लिए)

कंपनियों के पंजीकरण में आ रही कठिनाइयों की जानकारी

227 श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चाः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सिक्किम में कनेक्टिविटी संबंधी समस्याओं और सुविधा केंद्रों की कमी के कारण एमसीए 21 पोर्टल के अंतर्गत कंपनियों के पंजीकरण, वैधानिक रिटर्न दाखिल करने और अनुपालन प्रक्रियाओं में आ रही कठिनाइयों का संज्ञान लिया है;

(ख) क्या मंत्रालय हितधारकों, विशेष रूप से स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई और सहकारी संस्थाओं की सहायता के लिए सिक्किम में एक समर्पित एमसीए सुविधा केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है;

(ग) क्या सरकार सिक्किम में संस्थाओं के लिए कोई विशेष छूट, रियायतें या मार्गदर्शन सहयोग प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(घ) सिक्किम में कारपोरेट प्रशासन, व्यवसाय सुगमता और डिजिटल फाइलिंग दक्षता को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए या प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 सिक्किम राज्य में लागू नहीं है।

(ख) से (घ): उपरोक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

*****